

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज०)

केम्प - अटल सेवा केन्द्र, फूलियाकलां

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीर प्रसाद नायक, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 229/2016 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

श्री संजय पिता रामनाथ जाट निवासी सणगारी तहसील फूलियाकलां

प्रार्थी

बनाम

1. श्री रघुराज पिता बंशीरिंह राजपूत निवासी गणपतिया खेड़ा तहसील फूलियाकलां
2. श्री मुन्नीराम पिता सोहनदास वैष्णव निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
3. श्री रामनारायण पिता जगनाथ वैष्णव निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां
4. श्री भंवरलाल पिता बैनाथ जाट निवासी सणगारी तहसील फूलियाकलां

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 06.06.2016

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं :- प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ग्राम सणगारी तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 890 के आराजी नम्बर 330 रकबा 2.42 है० आराजी कुल कित्ता 01 रकबा 2.42 है० हेक्टर का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की




नकल जमावन्दी ग्राम सणगारी संवत 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सणगारी मे स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात किता 01 रकबा 2.42 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हरतक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 450/- रुपये (अक्षरे चार सौ/पचास रुपये मात्र) कायम किये जाते है जो प्रार्थी से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फेराल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 06.06.2016 को केम्प अटल सेवा केन्द्र फूलियाकलां पर सुनाया गया।




6/6/16
(एम0पी0 नायक)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां, जिला-भिलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पावना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।


6/6/16
उपखण्ड अधिकारी
फूलियाकलां, जिला-भिलवाड़ा

